राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या 553/2001

जयप्रकाश विश्नोई —अपीलार्थी

बनाम

1. गृह सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. पुलिस महानिदेशक, जयपुर।
3. उप पुलिस महानिरीक्षक, जयपुर।
4. प्रमुख एवं उपनिदेशक, पुलिस अकेडमी, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 07.11.2001
आदेश की दिनांक : 29.05.2024

अपीलार्थी की ओर से : श्री नवल किशोर सोनी एवं बी. एस. सोडा, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री राजेन्द्र दाधीच, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :— लेखराज तोसावड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने अनुतोष चाहा है कि प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 10.03.2000 (अनुलग्नक–4 व 5) को अपास्त किया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को उपनिरीक्षक के पद पर निरन्तर समस्त पारिणामिक लाभ सहित कार्य करने दिये जाने के आदेश फरमाये जावे।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह कथन किया है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा उपनिरीक्षक के रिक्त पद भरे जाने हेतु वर्ष 1997 में परीक्षा का आयोजन किया तथा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को दिनांक 23.03.1999 को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। जिसमें अपीलार्थी को उत्तीर्ण कर लिया गया। प्रत्यर्थी संख्या 05 के द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 07.04.1999 (अनुलग्नक–1) के द्वारा कारण बताओं नोटिस दिया गया कि आपके द्वारा पूर्व में भरे गए आवेदन पत्र एवं वर्तमान में प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जांच करने पर यह पाया गया कि दोनों आवेदन पत्रों में लिखी गई हस्तलिपि भी मेल नही खाती है। अपीलार्थी ने दिनांक 19.04.1999 को आरोप पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन कि उप निरीक्षक पुलिस प्रतियोगी परीक्षा 1997 का मेरा परीक्षा परिणाम शीघ्र घोषित करे। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 11.11.1999 (अनुलग्नक–3) के द्वारा अपीलार्थी को उपनिरीक्षक के पद पर उदयपुर रेंज में नियुक्त किया गया। प्रत्यर्थी

विभाग के आदेश दिनांक 10.03.2000 (अनुलग्नक–4 व 5) के द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही उपनिरीक्षक के पद से डिसचार्ज कर दिया गया। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 10.03.2000 को चुनौती देते हुए माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 2319/2000 दायर की। जिसमें पारित आदेश दिनांक 07.09.2001 के द्वारा अपीलार्थी की अपील वैकल्पिक उपचार उपलब्धता के आधार पर खारिज कर दी गई। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 10.03.2000 (अनुलग्नक–4 व 5) को अपास्त किया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को उपनिरीक्षक के पद पर निरन्तर समस्त पारिणामिक लाभ सहित कार्य करने दिये जाने के आदेश फरमाये जावे।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने अपील का पुरजोर विरोध करते हुए अपील का जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के नियुक्ति आदेश दिनांक 11.11.1999 में त्रुटिवश अपीलार्थी को अनुसुचित जनजाति का आवेदक मानते हुए नियुक्ति प्रदान की गई थी। जबकि अपीलार्थी विश्नोई समुदाय से संबंधित है एवं उसे नियमानुसार किसी भी परिस्थिति में अनुसुचित जनजाति का सदस्य नहीं माना जा सकता। यह त्रुटि विभाग के ध्यान में आते ही विभाग द्वारा नियुक्ति आदेश को निरस्त इस आधार पर किया गया कि अपीलार्थी सामान्य जाति से संबंध रखता और उसे अनुसुचित जनजाति का सदस्य नहीं माना जा सकता है। क्योंकि अपीलार्थी के उक्त नियुक्ति आदेश त्रुटिवश अनुसुचित जनजाति का सदस्य मानते हुए जारी किये गये थे। अतः नियमानुसार प्रत्यर्थी विभाग इस बात के लिए बाध्यकारी नहीं है कि उक्त नियुक्ति आदेश निरस्त किये जाने से पूर्व अपीलार्थी को आदेश निरस्त किये जाने के बारे कोई नोटिस जारी किया जाये। यह त्रुटि मानवीय भूल के तहत हुई है, जिसे प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश निरस्त कर वैधानिक रूप से सुधार कर लिया गया है। अपीलार्थी द्वारा इस प्रकरण के मामले में माननीय उच्च न्यायालय में भी अपील संख्या 2319/2000 दायर की गई थी, जिसे माननीय न्यायालय ने अपने विनिश्चय दिनांक 07.09.2001 के द्वारा वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता के आधार पर खारिज कर दिया गया, अतः अपील अपीलार्थी खारिज करने योग्य है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया गया।

अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 10.03.2000 अनुलग्नक–4 व 5 के द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही उपनिरीक्षक के पद से डिस्चार्ज

कर दिया गया। हमारे विनम्र मत में अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही उपनिरीक्षक के पद से डिस्चार्ज किया गया है। इसलिये नैसर्गिक न्याय के अनुरूप सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 माह की अवधि में अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदार कर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिये जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिये जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र पर उपर्युक्त निर्देश के साथ अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य